प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 23.02.2025

नगर जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व सर्विलांस/ स्वाट टीम द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 125 मोबाइल (अनुमानित कीमत 25 लाख रूपये) रिकवर कर मोबाइल स्वामियों को लौटाये गये ।

सी ई आई आर (सेन्ट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटीटी रजिस्ट्र) पोर्टल पर नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल चोरी, स्नैचिंग/लूट व मोबाइल खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए नगर जोन पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 125 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रूपये है की बरामदगी की गई है। सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। बरामद किये गये मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के स्वामियों की पहचान कर प्रदान किये गये हैं।

थानावार मोबाइल बरामदगी का विवरण-

1.थाना कोतवाली नगर- 23
2.थाना विजयनगर -07
3.थाना सिहानीगेट- 60
4.थाना नंदग्राम – 11
5.थाना कविनगर -20
6.थाना मधुबन बापुधाम -04

कुल योग – 125

थाना मसूरी पुलिस द्वारा इंडियन पैट्रोल पम्प हवा-हवाई मसूरी पर हुई घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 21.02.2025 को वादी श्री अरुण चौहान (मैनेजर इण्डियन पैट्रोल पम्प हवा हवाई मसूरी) ने तहरीर दी और बताया कि दिनांक 21.02.2025 की रात्रि में करीब 01.40 बजे तीन व्यक्ति कार से आये और पैट्रोल पम्प की मशीन स्टार्ट करके वहाँ से डीजल व पैट्रोल भरकर ले गये व ऑफिस में मौजूद कर्मचारी के साथ मारपीट कर तथा ऑफिस में सीसीटीवी स्क्रीन तोड़फोड़कर आंटोमेशन स्क्रीन लेकर चले गये, वादी की तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर मु0अ0सं0 47/25 धारा 309(6)/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया जिसके खुलासे के लिये टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुये घटना से सम्बन्धित एक अभियुक्त सुमित कुमार पुत्र राजकुमार निवासी सलारपुर सरीफाबाद थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ को मय माल (डीजल) व घटना में प्रयुक्त गाड़ी सहित गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 23-02-2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त विकास चौहान पुत्र चमन सिंह निवासी दौलतपुर थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर को रेलवे लाईन नहर अण्डरपास खड़जे के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त विकास चौहान पुत्र चमन सिंह निवासी दौलतपुर थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर ने बताया कि मैं नौंवी तक पढ़ा लिखा हूँ तथा मैंने करीब 06 माह पहले हवा-हवाई स्थित इंडियन पैट्रोल पम्प पर सैल्समैनी का काम किया था तथा वहाँ पर पहले से रजत पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम पलवाड़ा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ सैल्समैनी का काम करता था एवं कुछ समय बाद सुमित कुमार पुत्र राजकुमार निवासी सलारपुर सरीफाबाद थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ भी मेरे साथ में इंडियन पैट्रोल पम्प हवा-हवाई पर सैल्समैनी का कार्य करने लगा था। 06 महीने काम करने के बाद सैलरी टाइम से न मिलने के कारण पहले मेरे साथी सुमित ने हवा-हवाई इंडियन पैट्रोल पम्प से काम छोड़ दिया था तथा कुछ समय बाद ही मैंने व रजत ने भी वहाँ से काम छोड़ दिया था। हम तीनों के कई बार कहने के बाद भी सैलरी के बचे पैसे इंडियन पैट्रोल पम्प हवा-हवाई मसूरी से नहीं मिल पाये थे, इसी कारण दिनांक 20.02.2025 को हम तीनों मिलकर पैट्रोल पम्प से डीजल व पैट्रोल लेकर भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विकास चौहान पुत्र चमन सिंह निवासी दौलतपुर थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर, उम्र करीब 28 वर्ष

पंजीकृत अभियोग व अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09.11.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी की बहन उम्र करीब 16 वर्ष को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर कहीं ले जाना। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा-137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गयी। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा मैनुअल ईनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिनांक 20.02.2025 को पीडिता को बरामद किया गया तथा पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64 BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

दिनांक 22.02.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रवि पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम लहटोई पोस्ट सोंगरा थाना जवां जिला अलीगढ उम्र 22 वर्ष को चौकी क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि वादी के गाँव में मेरी रिश्तेदारी है और पीडिता मुझे वहीं पर मिली थी। जिससे मैंने बातचीत करना शुरू कर दिया था और मैं यहाँ मजदूरी करने आया था। मैं वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था तथा मैंने उसके साथ गलत काम किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पताः-
रवि पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम लहटोई पोस्ट सोंगरा थाना जवां जिला अलीगढ, उम्र 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग
अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम
थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 31.12.2024 को थाना भोजपुर पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दीपांशू द्वारा उनकी पुत्री को जबरन कमरे में खीचकर छेडखानी व मारपीट की गई है व दीपाशू तथा उसके ताउ के लडके के द्वारा साथ मिलकर पीडिता व पीडिता के परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना भोजपुर पुलिस द्वारा धारा-74/75/351(2) बीएनएस व 7/8 पोक्सो अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में पीडिता के बयानों के आधार पर धारा 70(1) बीएनएस की वृद्धि की गई व स्कूल दस्तावेजों के अनुसार पीडिता बालिग पाई गई जिसके आधार पर धारा 7/8 पोक्सो अधि0 का लोप किया गया। दिनांक 16.02.2025 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त दीपांशू पुत्र सतीश निवासी ग्राम ईशाकनगर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 23.02.2025 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त हनी पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम ईशाकनगर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को फरीदनगर गेट से गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि पीडिता और मेरे चाचा का लडका दीपांशू एक-दूसरे को पिछले 03 वर्ष से जानते हैं तथा एक –दूसरे से शादी करना भी चाहते थे। उसके घर वालो के विरोध करने पर एक दिन गुस्से मे आकर दीपांशू और मैने एक साथ मिलकर यह घटना कारित कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –
हनी पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम ईशाकनगर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष **आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-**
अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –
थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त एक देशी नाजायज अद्धा व 01 खोका कारतूस 315 बोर बरामद।

दिनांक 18.02.2025 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा ग्राम त्यौडी में दो पक्षो जिसमें प्रथम पक्ष के 1.फरमान पुत्र फैयाज उम्र करीब 28 वर्ष 2. परवेज पुत्र फैयाज उम्र करीब 32 वर्ष 3. वाहिद पुत्र फैयाज उम्र करीब 35 वर्ष व द्वितीय पक्ष के 1. साजिद पुत्र इकबाल उम्र 38 वर्ष 2. राशिद पुत्र इकबाल उम्र करीब 35 वर्ष व कुछ अन्य व्यक्ति समस्त निवासी गण ग्राम त्यौडी 13 बिस्वा के बीच मौहल्ला अंसारियान में मस्जिद के पास चौराहा पर मुकदमेबाजी को लेकर एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए मारपीट व जान से मारने की नियत से एक दूसरे पर फायरिंग व पथराव करने के सम्बन्ध में धारा 190/191(2)/191(3)/109/131/115(2)/125/352 बी0एन0एस के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी। तत्पश्चात मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 19.02.2025 को नामजद अभियुक्त साजिद पुत्र इकबाल नि0 ग्राम त्यौडी 13 बिस्वा थाना भोजपुर कमि0 गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 23.02.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फरमान पुत्र फैयाज नि0 ग्राम त्यौडी 13 बिस्वा थाना भोजपुर कमि0 गाजियाबाद उम्र 37 वर्ष को थाना क्षेत्र भोजपुर से मय घटना में प्रयुक्त 01 देशी नाजायज अद्धा मय 01 खोका कारतूस 315 बोर के सहित गिरफ्तार किया गया, उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27 ए एक्ट की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। तथा अन्य अभि0गणो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे परिवार की हमारे ही गांव के साजिद पुत्र इकबाल व राशिद पुत्र इकबाल आदि से पुरानी मुकदमेबाजी चल रही है इसी बात को लेकर दिनांक 18.02.2025 को हमारे बीच विवाद हो गया और दोनो पक्षों में पथराव व फायरिंग हो गई इसमे मेरे द्वारा भी फायरिग की गई थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

फरमान पुत्र फैयाज नि0 ग्राम त्यौडी 13 बिस्वा थाना भोजपुर कमि0 गाजियाबाद, उम्र 37 वर्ष

आपराधिक इतिहास

थाना भोजपुर पर अभि0 के विरूद्ध हत्या के प्रयास/धमकी के संबंध में 01 अभियोग व मारपीट सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त 01 देशी नाजायज अद्धा मय 01 खोका कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम